न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2022/00214 (214/2022)

शांति पुत्री रावताराम पत्नी पोकरराम जाति जाट निवासी पनसीसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू।

–अपीलान्ट

बनाम

1. बिरमा पुत्री रामेश्वरी पत्नी मांगीलाल जाति जाट निवासी धणियासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. लिछमा पुत्री रामेश्वर पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी धणियासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. फूली पुत्री रावताराम पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी पाटम देशर तहसील सरदार शहर जिला चुरू।
4. आशी पुत्री रावताराम पत्नी मधाराम जाति जाट निवासी पाटम देशर तहसील सरदारशहर जिला चुरू

5. मनीराम
6. अमीलाल
7. भगवानाराम
8. कृष्ण
9. रूपा
10. गुड्डी
11. चावली
12. विमला

पुत्र व पत्रियान ताना पुत्री पुराराम जाति जाट निवासी पुनसीसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू।

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

विरूद्व निर्णय दिनांक 08.06.2022

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

प्र0 संख्या 30/2018 बअनवान बिरमा देवी बनाम शांति

श्री रामकुमार बेनीवाल अधिवक्ता अपीलाण्ट

निर्णय

दिनांक – 12.01.2023

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें कथन किया कि चक 2 कसेएचडी. की कुल 84 बीघा 14 बिस्वा भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि एवं चक 2 के.एच.डी. की कुल तादादी 30.04 बीघा में 1/2 हिस्सा भूमि पतु उर्फ पतराम की कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि थी। जिमसें पतुराम परमा राम सन 1994 में फोत हो चुका था यानि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम सनु 2005 लागू होने से पूर्व फौत हो चुका था, परन्तु पुराना अधिनियम सन 1956 लागू था जिसमें पैतृक सम्पति में सिर्फ पुरूष वर्ग को ही पिता के जीवनकाल में सम्पति प्राप्त होती थी। इस प्रकार पतु उर्फ फतु के 1/5 हिस्सा दर 1/2 हिस्सा में मृतक रामेश्वर व मृतक रावताराम दोना ब.हिब. के मुश्तर्का खतोदार कातश्कार हुए। रावताराम के फौत होने के बाद उनके विधिक वारिस पांच पुत्रीयां, पत्नी व एक पुत्र कुल 7 वारिस हुए। अर्थात रावताराम का 1/5 हिस्सा में प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा। मोहनी देवी व रामेश्वर फौत हो चुके हैं तथा रामप्यारी ने हक त्याग कर दिया इसलिए शेष 5 वारिसान का 1/5, 1/5 हिस्सा हुआ किन्तु दावा में प्रतिवादीया सं0 26 मृतक रामेश्वर ने 1/5 गलत दर्ज करवा लिया जबकि रामेश्वर के वारिसान सभी का 1/5 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। बाद वफात पतुराम के गैरसायल नं0 1 ता 3 व मृतक मोहनी देवी व ताना व रामप्यारी ने उक्त भूमि अपने नाम गलत रूप से अधिक दर्ज करवा ली जिससे सायलान के खातेदारी हकूक का हनन होता है जिससे सायलान अपने खातेदारी हकूककी घोषणा करवाने के मजाज हैं। यही बिनाय दावा है। गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उइते हुए गैरसालयान सं. 1 ता 11 उक्त भूमि को रहन बैय व

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

मुंतकिल करने व उक्त भूमि से सायलान व दावें में प्रतिवादी नं. 26 को बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दते है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो जतो हैं प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए गैरसालयान नं. 1 से 1 के विरूद्ध के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायलाय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाट ने यह अपील पेश की है।

2. रेस्पोडेण्ट की तरफ से कोई उपस्थित नही आया। अपीलाट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलाय का अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध है व न्यायिक निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 3 व 4 ने अपने जवाब दरख्वास्त में समस्त तथ्य अंकित किये थे जिनका मातहत अदालत ने कतई गौर नहीं किया यदि गोर किया जाता तो स्पष्ट था कि हिन्दु विधि में मृतक के वारिसान पुरूष व स्त्री सभी विधि अनुसार होते हैं किन्तु मातहत अदालत ने सभी वारिसान को न मानकर कानूनन भूल की है। रावताराम की मृत्यु के बाद उनके विधिक वारिसान उसकी पांच पुत्रियांन शांति, फुला, आशी, ताना, व रामप्यारी तथा पत्नी मोहनी व पुत्र रामेश्वर कुल 7 वारिस हुए । अर्थात रावताराम का 1/5 हिस्सा में प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा मोहनी देवी व रामेश्वर फौत हो चुके हैं तथा रामप्यारी ने हक त्याग कर दिया इसलिए सभी वारिसान का 1/5, 1/5 हिस्सा हुआ किन्तु दावा में प्रतिवादी सं0 26 मृतक रामेश्वर ने 1/5 गलत दर्ज करवा लिया जबकि रामेश्वर के वारिसान सभी का 1/5 हिस्सा दर्ज होना चाहिए थ इस बिन्दू पर भी मातहत अदालत ने कोई ध्यान नहीं दिया है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 3 व 4 के विरूद्ध स्थगन आदेश कन्फर्म कर उनके मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात किया है जिनका विरास्तन भूमि प्राप्त हुई जिसमें किसी हिंदु उत्ताराधिकार

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अधिनिमय की बाध्यता नहीं है। इसलिए मातहत अदालत द्वारा हिन्दु उतराधिकार की विवेचना तक निर्णय में नही की और अपीलकृत आदेश पारित कर अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 व 4 को नुकसान पहुंचा है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का वलोकन किया।

5. वादग्रस्त भूमि पतुराम के नाम की थी जिसके पांच वारिस पुत्र रावताराम, तालूराम, मध्ज्ञाराम, नरसाराम, दुलाराम थे। रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना–पत्र में कथन है पितुराम उर्फ फतु पुत्र परमा सन् 1994 में से पूर्व ही फौत हो गया यानि नया हिन्दु उतराधिकार धिनियम 2005 लागु होने से पूर्व ही व फौत हो गया था तथा वह जिस समय पतु फौत हुआ उस समय पुराना हिन्दु उत्तराध्किाार अधिनियम 1956 लागू था। पुराने हिन्दु उत्तराध्किाार धिनियम 1956 में पैतृक सम्पति में सिर्फ पुरूष वर्ग को ही पिता के जीवनकाल में सम्पति प्राप्त होती थी महिला वर्ग को अपने पिति के जीवनकाल में पैतृक सम्पति में कोई हक व हिस्सा नहीं होता था। रामप्यारी पुत्र रावताराम ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादीया सं0 26 के पक्ष में जरिये दस्तबरदारी दिनांक 20.05.2014 के द्वारा छोड़ दिया था। कोई भी काश्तकार अपनी पैतृक भूमि में अपने हक का त्याग जरिये दस्तबरदारी कर सकता है परन्तु हक त्याग शेष रहे सहकाश्तकार के हक में ब.हि.ब. में आता है चाहे दस्तबरदारी करने वाला अपने हक त्यगा में एक का नाम दर्ज क्यों न करे इससे सहकातश्कारों क हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अपीलांट एवं रेस्पोडण्ट के हक हिस्सा का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि लिये जाने के उपरान्त ही निर्धारित होना है। प्रथम दृष्टया रावताराम का 1/5 हिस्सा में प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा है। मोहनी देवी व रामेश्वर फौत हो चुके हैं तथा रामप्यारी ने हक त्याग कर दिया इसलिए शेष वारिसान का 1/5, 1/5 हिस्सा हुआ किन्तु दावा में प्रतिवादी सं0 26 मृतक रामेश्वरी ने 1/5 गलत दर्ज है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जबकि रामेश्वर के वारिसान सभी का 1/5 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एक अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अपीलाण्ट के पक्ष में है। अपीलांट के कथनों का अपील में किसी के द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रातवसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.2022 निरस्त किया जाता है एवं धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 12.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/1/23

(करतारसिह पूनियॉ)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ